



2026:AHC:68316

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या -

2416 वर्ष 2026

जीशान @ शानू @ मोहम्मद दिशान आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मनोज कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 72

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ल

1. आवेदक के अधिवक्ता, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. आज अदालत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
3. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से केस अपराध संख्या-209 वर्ष 2025 में बी.एन.एस., थाना-दिलारी, जिला- मुरादाबाद की धारा 87, 137(2), 70(1) के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में उसकी गिरफ्तारी की आशंका है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रस्तुत मामले में दो पीड़ित हैं। एक मेजर है और दूसरा नाबालिग है। वयस्क पीड़िता के बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज बयानों में, आवेदक और अन्य आरोपियों के खिलाफ पीड़ितों के साथ दुर्यवहार (चेडचड) करने और पीड़िता की नाबालिग बहन को ले जाने का आरोप है। वयस्क पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस., 2023 के तहत अपने बयान में सुधार किया था, जहां हासिम और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस्लाम (सह-आरोपी) के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया गया है। आवेदक पर वयस्क पीड़िता पर बलात्कार करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि नाबालिग पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान में किसी के खिलाफ बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया है और कहा था कि यह उसकी बहन थी, जिसने पीड़िता को ले लिया था और उसे ट्रेन स्टेशन पर छोड़ दिया था, जिसके बाद वह स्वेच्छा से थाना-आई थी। आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को पिछले मामले में केस अपराध संख्या-03 वर्ष 2024, धारा 365, 342, 506 भ०द०वि० और पॉक्सो अधिनियम की धारा 16/17 के तहत झूठा फंसाया गया है, जिसमें आवेदक के खिलाफ बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया गया था और उक्त मामले में बलात्कार का आरोप सह-आरोपी नदीम के खिलाफ था। आवेदक को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-11325 वर्ष 2024 (सोनू उर्फ दिशान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में पारित दिनांक 09.04.2024 के अपने आदेश के माध्यम से उपरोक्त मामले में ज़मानत दे दी गई है।

5. अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम ज़मानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक पहले भी एक यौन अपराध में शामिल रहा है और वह एक बार-बार अपराधी है और अग्रिम ज़मानत देने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक को हालांकि वयस्क पीड़िता पर बलात्कार करने की भूमिका नहीं सौंपी गई है, हालांकि, उसने उसके अपहरण में सक्रिय रूप से सहायता की है।

6. मैंने पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

7. वयस्क पीड़िता की धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज बयान का अवलोकन करने से पता चलता है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में भी आवेदक के खिलाफ बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। नाबालिग पीड़िता, जो खुद थाना गई है, ने भी बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया है और न ही किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई आरोप लगाया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. ऐसी परिस्थितियों में, वयस्क पीड़ित की धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किए गए बयानों में गंभीर सुधार और वयस्क पीड़ित और नाबालिग पीड़ित की धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज बयान में स्पष्ट विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की राय में, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को गलत तरीके से फंसाया गया है। हालांकि, आवेदक का यौन अपराधों से जुड़े पिछले मामले का आपराधिक इतिहास है, हालांकि, इस न्यायालय द्वारा पारित ज़मानत देने के आदेश का अवलोकन इंगित करता है कि पहले के मामले में भी, पीड़ित पर बलात्कार करने की कोई भूमिका आवेदक को जिम्मेदार नहीं ठहराई गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय ने दोनों पीड़ितों के बयान पर विचार करने से पाया कि आवेदक ने ऐसा अपराध नहीं किया है जो उसके खिलाफ आरोप लगाया गया है।

9. मामले के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मैं आवेदक को अग्रिम ज़मानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के अग्रिम ज़मानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

11. आवेदक-जीशान @ शानू @ मोहम्मद दशान की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मामले में निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित थाना/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम ज़मानत पर तुरंत रिहा किया जाएगा: -

- i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;



12. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय ज़मानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से प्रस्तुत अग्रिम ज़मानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और मामले के गुण-दोष पर राय नहीं मानी जानी चाहिए।

31 मार्च, 2026 / सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

Translated Version. Not for Legal Use.